part L of the "Text on Agriculture" of the Dunkel text established under GATT;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) Government has furnished a preliminary List of Commitments and the supporting material in accordance with the Agricultural Text in Draft Final Act.

In the area of domestic support calculations have been made for non-product-specific and product-specific support for the reference period 1986—88. Non-Product specific support comprising of non-exempt subsidies, namely fertilizers, credit, irrigation, electricity and seeds has been calculated to be less than six per cent of value of agricultural production. Product-specific support is negative in respect of 14 out of 17 products for which calculations have been made. For three products, namely, groundnut, tobacco and sugarcane the level of support is positive but less than 10 per cent. As developing countries are not expected to undertake any reduction commitments in respect of domestic support below 10 per cent, no commitments have been made.

Since India does not maintain any export subsidies within the meaning of Draft Text of Agriculture, no commitments in this regard have been undertaken.

On market access, India has indicated ceiling bindings on tariff rates for agricultural items generally at 100 per cent for primary products, 150 per cent for processed products and 300 per cent for edible oils. Since India maitains quantitative restrictions for balance-of-payment reasons, no commitments have been undertaken on minimum market access.

Operations of Public Distribution System are considered to be consumer subsidies, which are exempt from GATT discipline, and hence no commitments have been undertaken.

Delay in payment under International Price Reimbursement Scheme

1404. SHRI SHIVAJIRAO G. PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as claimed by the Engineering Export Promotion Council, there is an inordinate delay in payment under the International Price Reimbursement Scheme; and

(b) if so, what are the corrective steps Government propose to take in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) IPRS payments are intended to compensate the exporters for the higher price of domestic steel compared to the international price of steel. Such payments are financed out of a Cess levied on major steel producers in the country. On account of inadequate receipts through the cess, some delay has occured in settlement of IPRS claims of exporters of Engineering Goods for Exports effected during 1992-93.

(b) Government has recently released a special grant of Rs. 75 crores from Budgetary sources to bridge the gap. Some other possibilities are also being examined to make up the difference in cost of steel for the Exporters.

हाई वोल्टेज परीक्षण सुविधा का आरम्भ किया जाना

1405. **श्री शांति त्यागी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह में अब हाई वोल्टेज परीक्षण सुविधा उपलब्ध करा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष तक गाजियाबाद इकाई में किन-किन उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध थी और वर्ष, 1993 के दौरान हाई वोल्टेज परीक्षण प्रणाली आरम्भ होने के पश्चात् अन्य कौन-कौन से उत्पादों का परीक्षण का कार्य आरंभ किया गया है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) हाई वोल्टेज परीक्षण सुविधा का पहला भाग, 1992 में तथा दूसरा भाग, 1993 में आरंभ किया गया। हाई वोल्टेज परीक्षण सुविधा के आरंभ होने से पहले विद्यमान तथा उसके पश्चात् उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्रमशः विवरण 1 और 2 पर दिया गया है।

विवरण

उन उत्पादों की सूची, जिनके क्वालिटी परीक्षण की सुविधा, हाई वोल्टेज परीक्षण सुविधा के आरम्भ होने से पूर्व उपलब्ध थी।

(1) **रसायन प्रयोगशाला** :

सामान्य प्रयोगशाला--आर्गेनिक तथा इनोर्गेनिक कैमिकल्स, पानी, खनिज, एसिड़, अल्कलीज, औद्योगिक गैसें आदि।

धातु प्रयोगशाला--स्टील, मिश्रधातु-एलाय-स्टील, कास्ट-प्रायरन, स्टेनलैस स्टील, रॉट-आयरन, हाई स्पीड स्टील आदि जैसे फैरस मैटीरियल, और ताँबा (कॉपर), जिंक, सीसा (लैड), एंटीमोनी, एलुमिनियम, काँसा (ब्रोंज) ड्यूरैयूमिन, वाई-एलाय, व्हाइट-मैटल आदि जैसे नॉन फैरस मैटल।

अयस्क और खनिज प्रयोगशाला-लाइम स्टोन, डोलामाइट, बाक्साइट, इलूमिनाइट, टिटेनियम, चीनी मिट्टी लुमिना आदि।

सीमेंट और संबद्ध उत्पाद प्रयोगशाला-सीमेंट, सीमेंट मोर्टार, सीमेंट-प्लास्टर, सीमेंट कंक्रीट, भवन निर्माण सामग्री जैसे लकड़ी और उसके परिरक्षक, चूना आदि।

पेंट्स और संबद्ध उत्पाद प्रयोगशाला-सभी प्रकार के आयल पेस्ट्स, पिग-मेंट्स, रैडी मिक्सड पेंट्स, इनेमल्स, वार्निश (आउटडोर एक्सपोजर टैस्ट के अतिरिक्त) और संबद्ध उत्पाद।

कृमिनाशी, और उर्वरक प्रयोगशाला--आल्ड्रिन, ड्राइमिथोनेट, बी.एच.सी. डी.डी.टी., मैलाफियन, इन्डसल्फान आदि जैसे कृमिनाशी और एलुमिनियम फासफाइड, कापर एसिटी आर्सेनाइट आदि जैसे कीनाशक। अमोनियम सल्फेट, पोटाश का सल्फेट, यूरिया, जिंक सल्फेट आदि जैसे उर्वरक, तेल, वैक्स, साबुन और डिटरजैंट, बूट पालिश मैटल पालिश, जैसे आर्गेनिक कैमिकल, ग्लिसरोल, मिथेनोल, एसिटोन, बेंजीन आदि जैसे आर्गेनिक कम्पाउंड।

(2) **सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला** :

आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, हाई स्ट्रैथ सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट, बिल्डिंग लाइम फलाइएश, कालसिन्ड क्ले पाजोलाना, निर्माण हेतु पानी, भवन के लिए ईंटें, फनश डोर शटर, पैनल डोर शटर, टिम्बर फार मोइसचर कन्टेंट, पार्टिकल बोर्ड, टैरेजो टाइल, ग्लेज्ड टाइल, सैंड, स्टोन, रोड मैटल, फोम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट क्यूब, साइल आदि।

(3) **विद्युत इंजनियरिंग प्रयोगशाला** :

विद्युत-उप साधन (एसेसरीज) एव स्विच गीयर प्रयोगशाला-प्लगों, साकेट आउट लैट्स, लैम्प होल्डर, स्टार्टर होल्डर, सीलिंग रोजेज, मेन स्विच, रिवायरेबल फ्यूज, स्विच, फ्यूज, यूनिट आदि।

केबल एवं वाइंडिंग वायर प्रयोगशाला–केबल (1.1 किलोवाट) एवं इनैमल्ड वायर्स।

उपस्कर प्रयोगशाला–वाटर कूलर्स गीजर्स, वोल्टेज, स्टेबलाइजर्स आदि। पंखे एवं मोटर–प्रयोगशाला–छत के पंखें (इग्जास्ट एवं एयर डिलीवरी टेस्ट) एक्जास्ट पंखे, टेबल पंखे, पेडस्टल पंखे एफ.एच.पी. मोटरें आदि।

प्रकाशपुंज एवं उप साधन प्रयोगशाला–प्रतिदीप्त (फ्लूओरेसेंट) ट्यूब, एच. पी.एम. वी एवं एच.पी.एस.बी. 40 वाट–बैलास्ट्स आदि।

(4) यांत्रिक इंजीनियरिंग प्रयोगशाला :

भौतिक परीक्षण प्रयोगशाला :–फैरस एवं नॉन फेरस मैटीरियल तथा उत्पादों यथा पाइपों, नटों एवं बोल्टों सिलाई-मशीन आदि का भौतिक परीक्षण।

हाइड्रौलिक प्रयोगशाला–विभिन्न प्रकार के वाल्वों, नलों (टैप्स) सिलिन्डरों, सिंचाई के उपस्करों आदि के दबाव का परीक्षण।

मापविद्या एवं अंशांकन प्रयोगशाला–150 मिली. मी. से 0.5 माइक्रोन तक की परिशुद्ध–लम्बाई का मापन। कला की परिशुद्धता तक कोण मापन तथा टेपर और स्क्रूथैड–मापन।

(5) रबड़, प्लास्टिक एवं वस्त्र-प्रयोगशाला

रबड़ शीटों, रबड़ के होजेज, रबड़ के चिपकने वाले टेपों, सख्त रबड़, बैटरी कन्टेनरों, कम्बलों, फिल्ट-पेपर टैक्सटाइल–फैब्रिक्स, बी-ट्विल बैगों, तार-पोलीन टैक्सटाइल-सामग्री/वस्तुएं आदि।

(6) धात्वाशकीय वस्तु परीक्षण प्रयोगशाला

प्लेटों, वैल्डिंग किए गए जोड़ों फोरजिंग्स, कस्टिंग्स, बॉयलर ट्यूबों की मोटाई का मापन, पाइपों आदि का अल्ट्रासॉनिक परीक्षण। वैल्ड किए गए ज्वाइंटों के मैगनेटिक क्रैकों का पता लगाना, कास्टिंग्स एवं फोर्जिंग्स, क्रोमियम कोटिंग की मोटाई का पता लगाने के लिए स्पॉट-टेस्ट, स्टील की कठोरता का परीक्षण, कास्ट आयरन शॉट्स एवं कंकरी (ग्रिट्स(आदि की छन्नी विश्लेषण।

विवरण-2

उच्चवोल्टता (हाईवोल्टेज)–परीक्षण सुविधा की शुरुआत के बाद, परीक्षण किए जाने वाले उत्पादों की सूची।

1. तड़ित (लाइटनिंग)/स्विचरन) (स्विचिंग)-आवेग (इम्पल्स) प्रतिसहन का प्रत्येक ध्रुवता का परीक्षण।

2. तड़ित/स्विचन आवेग का फ्लैश ओवर टैस्ट।

3. चौप्ड लाइटनिंग–आवेग प्रतिसहन परीक्षण।

4. विद्युत आवृत्ति प्रति सहन परीक्षण (शुष्क)–550 के.वी. तक।

5. विद्युत आवृति का फ्लैश ओवर टैस्ट (शुष्क)–550–के.वी. तक।

6. वेधन (पंक्चर)–परीक्षण–550 के.वी. तक।

7. 250 के.वी. तक के केबलों पर आंशिक विसर्जन (पार्शियल डिस्चार्ज)–परीक्षण।

8. अन्य अवयवों (कम्पोनेंट्स) पर 300 के.वी. तक, युग्मक धारित्र (कपलिंग कैपिसिटेटर) का प्रयोग कर एवं 550 के.वी. तक उच्च वोल्टता ट्रान्सफार्मर की बुशिंग का प्रयोग कर, आंशिक विसर्जन परीक्षण।

9. 3000 एम्पीयर तक ताप वृद्धि परीक्षण।